29-01-17

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 602/09 /चार (म0 नियंत्रण) 2000 दिनाँक : 30/01/2010

श्री/श्रीमती/मै0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0 290/09

अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र शर्मा

A-15 U.G.F इन्द्रप्रकाश बाराखम्भा रोड

नई दिल्ली

आपके पत्र दिनांक 25-4-09 मानचित्र सं0 602/09 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम जटोली दिल्ली रोड बाईपास मेरठ। भूखण्ड/भवन सं0 खसरा 1562 से 1579 तक, 1583 से 1589 तक ग्राम जटोली ग्राम पल्हैड़ा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवम् विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं होगा। मा0 सं0- 602/09
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा। 30.1.2010 से 29.1.2016
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेगें।
11. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0 प्र0 नगर नियोजन एव विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता क्षेत्रीय को प्रेषित।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
मानचित्र नं. 602/2009
दिनांक 30/01/2010 से दिनांक 29/01/2016
स्वीकृत

शर्त:- उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र दो माह का अन्दर प्रस्तुत करना होगा इस शर्त के साथ मानचित्र निर्गत किया गया है।

संचिव C.T.P

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ